न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी रियांबडी जिला –नागौर
पीठासन अधिकारी श्री गौरीशंकर शर्मा (आर.ए.एस.)
अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 205/2019

वादी :–

01. चुनकी पत्नी श्री रूपाराम
02. रामचन्द्र पुत्र श्री रूपाराम
03. रामनिवास पुत्र श्री रूपाराम
जाति जाट निवासी समदोलाव खुर्द
तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

तिवादीगण :–

01. तहसीलदार, रियांबड़ी
02. पटवारी हल्का भंवाल

निर्णय

वादी ने यह वाद बाबत् बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया। वाद का संक्षिप्त तथ्य इस कार से है कि ग्राम समदोलाव खुर्द की सरहद मे स्थित ख.न. 114 रकबा 0.35 हैक्टेयर, ख. . 115 रकबा 0.70 हैक्टेयर, ख.न 116 रकबा 0.75 हैक्टेयर, ख.न 117 रकबा 0.55 हैक्टेयर, ख.न 118 रकबा 0.65 हैक्टेयर, ख.न. 119 रकबा 0.60 हैक्टेयर ख.न. 125/293 रकबा 0.24 हैक्टेयर व ख.न. 4 रकबा 1.10 हैक्टेयर, ख.न 5 रकबा 0.92 हैक्टेयर, ख.न. 6 रकबा 0.23 हैक्टेयर, ख.न 8 रकबा 1.02 हैक्टेयर मे हम वादीगण की काश्त व कब्जासुद जमीन आई हुई है जिसमे वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का नाम मांगुराम दर्ज है जबकि वादीगण संख्या 1 के पूर्व पति मांगूराम का देहान्त हो चुका है व मांगुराम जी के देहान्त हो जाने के बाद वादीगण संख्या 1 ने रूपाराम जी से पुर्नविंवाह कर लिया। जिससे वादीगण संख्या 1 के दोनो पुत्र वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता का वास्तविक नाम रूपाराम है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत् 2073–2076 साथ पेश है। यह है कि वादीगण की खातेदारी की आराजी मे वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का नाम मांगुराम की जगह रूपाराम शुद्व किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने के लिए वादीगण यह रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश कर रहे है। यह है कि राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता मांगूराम दर्ज हो जाने से वादीगण को बड़ी भारी परेशानी व नुकसान हो रहा है। इसलिए वादीगण राजस्व रेकर्ड मे मांगूराम की जगह रूपाराम दर्ज करवाने के अधिकारी है। यह है कि राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का नाम मांगूराम दर्ज होने से वादीगण को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादीगण को भारी नुकसान हो रहा है। वादीगण के सभी दस्तावेज मे वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का सही नाम रूपाराम दर्ज है व केवल खातेदारी मे गलत दर्ज होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह है कि वादीगण अभी एक माह पूर्व प्रतिवादीगण से राजस्व रेकर्ड मे मांगूराम की जगह रूपाराम करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने उक्त संशोधन करने से इंकार कर दिया। जिससे वादीगण को न्यायालय की शरण मे आना जरूरी हुआ है। यह है कि बिनाय दावा अभी एक माह पूर्व प्रतिवादीगण से राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता मांगूराम की जगह रूपाराम करने का निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)

किया तो प्रतिवादीगण ने उक्त संशोधन करने से इंकार कर दिया। तब बमुकाम समदोलाव खुर्द मे पैदा हुआ, जो अदालत वाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमाई जावे:–

(क) यह है कि ग्राम समदोलाव खुर्द की सरहद मे स्थित ख.न. 114 रकबा 0.35 हैक्टेयर, ख.न. 115 रकबा 0.70 हैक्टेयर, ख.न 116 रकबा 0.75 हैक्टेयर, ख.न 117 रकबा 0.55 हैक्टेयर, ख.न 118 रकबा 0.65 हैक्टेयर, ख.न. 119 रकबा 0.60 हैक्टेयर ख.न. 125/293 रकबा 0.24 हैक्टेयर व ख.न. 4 रकबा 1.10 हैक्टेयर, ख.न 5 रकबा 0.92 हैक्टेयर, ख.न. 6 रकबा 0.23 हैक्टेयर, ख.न 8 रकबा 1.02 हैक्टेयर की खातेदारी मे दर्ज चुनकी पत्नी मांगूराम व रामचन्द्र पुत्र मांगूराम व रामनिवास पुत्र मांगूराम जाति जाट सा. समदोलाव खुर्द की जगह चूनकी पत्नी रूपाराम व रामचन्द्र पुत्र रूपाराम व रामनिवास पुत्र रूपाराम जाति जाट सा. समदोलाव खुर्द दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के लिए तहसीलदार व पटवारी हल्का को लिखा जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को से जबाब हेतु तलब किया गया। तहसीलदार रियांबड़ी से वाद का पैरवार जवाब लिया गया निम्नानुसार है:–

1. ग्राम समदोलाव खुर्द की सरहद मे ख.न. 114 रकबा 0.35 हैक्टेयर, ख.न. 115 रकबा 0.70 हैक्टेयर, ख.न 116 रकबा 0.75 हैक्टेयर, ख.न 117 रकबा 0.55 हैक्टेयर, ख.न 118 रकबा 0.65 हैक्टेयर, ख.न. 119 रकबा 0.60 हैक्टेयर ख.न. 125/293 रकबा 0.24 हैक्टेयर व ख.न. 4 रकबा 1.10 हैक्टेयर, ख.न 5 रकबा 0.92 हैक्टेयर, ख.न. 6 रकबा 0.23 हैक्टेयर, ख.न 8 रकबा 1.02 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम है, उक्त खातेदारी वादीगण संख्या 02 व 03 के विरासत के नामान्तरकरण द्वारा व वादीगण संख्या 1 के विरासत मे नाम नही होने की वजह से डिक्री द्वारा नामांन्तरकरण 171 के द्वारा रिकॉर्ड मे दर्ज किया गया। वादीगण संख्या 1 ने लिखा कि उसके पति का निधन होने के उपरांत उसने रूपाराम से पुर्नः विवाह किया जबकि उक्त नाम मांगूराम की विरासत के द्वारा आये है, उक्त सूचना गांव मे जानकारी करने पर भी सही पायी गयी।
2. वादीगण की खातेदारी मे नाम डिक्री व विरासत की वजह से रिकॉर्ड मे आया हुआ है।
3. पैरा संख्या 3 न्यायालय से सबंधित है।
4. पैरा संख्या 5 मे वादीगण ने स्वीकार किया है कि उनके सभी दस्तावेज मे मांगूराम दर्ज है। केवल खातेदारी मे गलत होना बताया जबकि खातेदारी मे सही दर्ज है।
5. पैरा संख्या 6, 7, 8, 9 न्यायालय से सबंधित है।

तहसीलदार रियांबड़ी का जवाब शामिल मिसल किया गया। वादी शहादत लिये गये, जिसमे चुनकी पत्नी रूपाराम, रामनिवास पुत्र रूपाराम, रूपाराम पुत्र बालुराम जातियान जाट सा. समदोलाव खुर्द ने न्यायालय मे उपस्थित होकर शहादत शपथ पत्र पेश किये, जो शामिल मिसल किये गये। रूपाराम पुत्र बालुराम जाति जाट सा. समदोलाव खुर्द ने शहादत शपथ पत्र पेश किया जिसमे बताया कि चुनकी मेरी धर्म पत्नि है व रामनिवास व रामचन्द्र मेरे पुत्र है। चुनकी ने मेरे साथ पुनर्विवाह कर लिया है व मांगूराम जी के भी यह ही उत्तराधिकारी है। इसलिए मेरी पत्नि चुनकी व मेरे पुत्र रामनिवास व रामचन्द्र की वल्दियत मांगूराम के स्थान पर रूपाराम कर दिया जावें। जिसमें मुझे कोई आपत्ति व ऐतराज नही है।

प्रकरण में पेश रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी को सुना गया। तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व शहादत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है, अतः आदेश दिया जाता है कि :–

मौजा ग्राम समदोलाव खुर्द की सरहद मे स्थित ख.न. 114 रकबा 0.35 हैक्टेयर, ख.न. 115 रकबा 0.70 हैक्टेयर, ख.न 116 रकबा 0.75 हैक्टेयर, ख.न 117 रकबा 0.55 हैक्टेयर, ख.न

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)

118 रकबा 0.65 हैक्टेयर, ख.न. 119 रकबा 0.60 हैक्टेयर ख.न. 125/293 रकबा 0.24 हैक्टेयर व ख.न. 4 रकबा 1.10 हैक्टेयर, ख.न 5 रकबा 0.92 हैक्टेयर, ख.न. 6 रकबा 0.23 हैक्टेयर, ख.न 8 रकबा 1.02 हैक्टेयर की खातेदारी मे दर्ज चुनकी पत्नी मांगूराम व रामचन्द्र पुत्र मांगूराम व रामनिवास पुत्र मांगूराम जाति जाट सा. समदोलाव खुर्द की जगह चूनकी पत्नी रूपाराम व रामचन्द्र पुत्र रूपाराम व रामनिवास पुत्र रूपाराम जातियान जाट सा. समदोलाव खुर्द दर्ज किया जाता है। राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी को निर्णय की तहरीर जारी हो। अगर किसी बैंक का रहन है तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)

यह निर्णय आज दिनांक 30/6/22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)